

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 50/2025

उनवानी :- तहसीलदार श्रीमहावीरजी बनाम अजीज व अन्य

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|------------|---|
| 06.02.2026 | <p>पत्रावली पेश हुई। मूल दावा अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट आंशिक रूप से पूर्व ही डिक्री किया जा चुका है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः मुकदमा नं. 50/2025 उनवानी तहसीलदार श्रीमहावीरजी बनाम अजीज व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 16.04.2025 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्द्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |